रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/97

REGD. NO. D. L.-33004/97

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 423] नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 28, 1997 /श्रावण 6, 1919
No. 423] NEW DELHI, MONDAY, JULY 28, 1997/SRAVANA 6, 1919

इस्पात मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 जुलाई, 1997

का.आ. 532 (अ)—ई एस एस./आ./लोहा और इस्पात.—केंद्रीय सरकार लोहा इस्पात (नियंत्रण) आदेश, 1956 के खंड 17-ख द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और भारत सरकार के तत्कालीन इस्पात, खान और कोयला मंत्रालय, इस्पात विभाग की अधिसूचना का.आ. सं. 854 (अ)/ईएसएस/आ./लोहा और इस्पात/तारीख 19 दिसम्बर, 1979 को उन बातों के सिवाय जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया हो, अधिक्रान्त करते हुए उपर्युक्त अप्रभावी करने के प्रयोजन के लिए लौह स्क्रैप समिति नामक एक समिति का गठन करती है ।

2. उपर्युक्त समिति का गठन और कृत्य निम्नलिखित रूप में होंगे :—

(क) गठन : समिति निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :—

(1) विकास आयुक्त, लोहा और इस्पात	—अध्यक्ष
(2) संयुक्त सचिव, इस्पात मंत्रालय	—सदस्य
(3) निदेशक (वित्त), इस्पात मंत्रालय	—सदस्य
(4) अध्यक्ष, भारतीय लोहा, इस्पात स्क्रैप और पोतभंजन संगम	—सदस्य
(5) गुजरात सरकार का प्रतिनिधि	—सदस्य

विकास आयुक्त, लोहा और इस्पात के किन्हीं कारणों से अनुपस्थित रहने पर संयुक्त सचिव, इस्पात मंत्रालय, समिति के अध्यक्ष होंगे ।

(ख) कृत्य :

(1) समिति देश में स्क्रैप के पुनर्वेलन, गलाने और अन्य औद्योगिक प्रयोगों के लिए संपूर्ण प्राप्यता का कालिकत: पुनर्विलोकन करेगी और इस संबंध में केन्द्रीय सरकार को प्रत्येक छह मास में एक बार या केंद्रीय सरकार द्वारा यदि ऐसा अपेक्षित हो तो और बारबार रिपोर्ट देगी ।

(2) समिति देश में पोतभंजन के लिए सुविधाओं के विकास सहित, स्क्रैप उठाई-धराई और प्रसंस्करण सुविधाओं के विकास के लिए स्कीम की विनिर्मित और कार्यान्वयन में केंद्रीय सरकार को सहायता दे सकती है ।

(3) समिति देश में स्क्रैप उठाई-धराई और प्रसंस्करण सुविधाओं के विकास में अवसंरचना साधक के सृजन के विषय में केंद्रीय सरकार/राज्य सरकार से सिफारिश कर सकेगी ।

(4) समिति स्क्रैप निकालने तथा प्रसंस्करण और देश में इसका उपयोग करने पर आधारिक आंकड़ों को तैयार कर बनाए रखने सहित ऐसे आधारिक आंकड़ों को अद्यतन करने और उनके विस्तार हेतु आवधिक अध्ययन शुरू करने का प्रयत्न कर पाएगी और मांगे जाने पर केन्द्रीय सरकार को सूचना भेजेगी ।

(5) समिति, स्क्रैप उठाई-धराई तथा प्रसंस्करण की सुविधाओं का विकास करने और देश में स्क्रैप के उपयोग को बढ़ाने में सहायक नीतियों और पद्धतियों के प्रतिपादन के संबंध में केन्द्रीय सरकार को सिफारिश करेगी ।

(6) समिति देश में स्क्रैप उठाई-धराई और प्रसंस्करण की सुविधाओं से जुड़ी समस्याओं का संबंधित अभिकरणों तथा सरकारों से विचार-विमर्श द्वारा हल निकालने में सहायता दे सकेगी ।

(7) समिति केंद्रीय सरकार द्वारा यदि कोई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं तो उनके अनुसार ऐसी कार्रवाई जो उचित हो, कर सकती है इस में देश में लौह स्क्रैप के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय सहायता की आवश्यकता तथा देश में उत्पादन और इस्पात की उपलब्धता को बढ़ाने की दृष्टि से लौह स्क्रैप के विकल्पों का पता लगाना और इसके उपयोग को बढ़ाना शामिल है ।

(8) समिति, केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए निर्देशों का अनुपालन करेगी ।

(ग) साधारण :

समिति का अधिवेशन जब-जब आवश्यक होगा, किया जाएगा किन्तु कम से कम तीन मास में एक बार तो अवश्य ही किया जाएगा ताकि यह अपने कार्यक्रमों का निर्वाह उचित प्रकार से कर सके । ये अपनी बैठकें सामान्यता या कलकत्ता में अथवा देश के किसी ऐसे स्थान पर आयोजित कर पाएगी जहां स्क्रैप प्रसंस्करण/पोतभंजन की सुविधाएं विद्यमान हैं अथवा इन्हें स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है । यह अपने विवेकानुसार, स्क्रैप के उत्पादकों, व्यापारियों और उपभोक्ताओं, पोतभंजकों आदि को मिलने और किसी विचाराधीन मामले पर उनके विचार व्यक्त करने हेतु भी आमंत्रित कर सकती है ।

2. विकास आयुक्त, लोहा और इस्पात का कार्यालय समिति को सचिवालय सहायता प्रदान करेगा जो बैठकों के लिए कार्यसूची तैयार करेगा और आवश्यक अनुवर्ती कार्रवाई करेगा ।

[सं. 5/2/90-एम.एफ. खण्ड IV]

एन.के. रघुपति, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF STEEL

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th July, 1997

S.O. 532 (E)— ESS. COMM/IRON & STEEL— In exercise of the powers conferred by clause 17B of the Iron and Steel (Control) Order, 1956, and in supersession of the notification of the Government of India, in the erstwhile Ministry of Steel, Mines and Coal, Department of Steel, No. S.O. 854 (E)/ESS/COMM/IRON & STEEL dated the 19th December, 1979, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby sets up a Committee to be known as the Ferrous Scrap Committee for the purpose of giving effect to the aforesaid Order.

2. The composition and functions of the aforesaid Committee shall be as follows :—

(a) Composition : The Committee shall consist of—

(i) Development Commissioner for Iron and Steel	—Chairman
(ii) Joint Secretary, Ministry of Steel	—Member
(iii) Director (Finance), Ministry of Steel	—Member
(iv) President, Iron, Steel Scrap & Shipbreakers Association of India,	—Member
(v) Representative of Government of Gujarat	—Member

In the absence of Development Commissioner for Iron and Steel, for any reasons, the Joint Secretary, Ministry of Steel shall be Chairman of the Committee.

(b) Functions :

(1) The committee shall periodically review the overall availability of scrap in the country for re-rolling, melting and other industrial uses and submit reports in this regard to the Central Government once every six months or more frequently if so required by the Central Government.

2. The committee may assist the Central Government in formulation and implementation of schemes for development of scrap handling and processing facilities in the country, including development of facilities for shipbreaking.

3. The Committee may make recommendations to the Central Government/State Governments with regard to creation of infrastructure conducive to development of scrap handling and processing facilities in the country.

4. The Committee may endeavour to build and maintain a data base on generation and processing of scrap and its utilisation in the country, including commissioning of periodical studies for updating and enlarging such data base and may furnish the information to the Central Government as and when asked for.

5. The Committee may make recommendations to the Central Government with regard to formulation of policies and procedures conducive to development of scrap handling and processing facilities and promotion of use of scrap in the country.

6. The Committee may assist scrap handling and processing facilities in the country in finding solutions to their problems by interacting with concerned agencies and Governments.

7. The Committee may take such steps as deemed fit, including provision of financial assistance as per the guidelines issued, if any, by the Central Government for promotion of use of ferrous scrap in the country and for identifying and promoting use of substitutes for ferrous scrap with a view to augmenting production and availability of steel in the country.

8. The Committee shall comply with any directions that may be issued by the Central Government from time to time.

(c) General :

(1) The Committee shall meet as often as necessary but not less than once in three months so that it can effectively discharge its functions. it may hold meetings normally at Calcutta or at any other place in the country where scrap processing/ shipbreaking facilities exist or are proposed to be set. up. It may also, at its discretion, invite producers, traders and consumers of scrap, shipbreakers etc. to meet it and express their views on any matter under consideration.

(2) The Secretarial assistance to the Committee shall be provided by the Office of the Development Commissioner for Iron and Steel who shall prepare the Agenda for the meetings and take necessary follow up action.

[No. 5 (2)/90-MF Vol. IV]
N.K. Raghupathy Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054 — 1997